FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत — जिला कलक्टर, झुंझुनू

पुरूषोतम लाल शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं **बनाम** सन्त कुमार पुत्र गजानन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।

किस्म मुकदमा अपीलः— **प्रा0प0 केवियट** — नम्बर **396** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.22	यह केवियट प्रार्थना पत्र पुरूषोतम लाल शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बुडाना द्वारा न्यायालय तहसीलदार, झुंझुनूं द्वारा मु0न0 03/2022 मे पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के विरूद्व पेश किया है। प्रा0प0 दर्ज रजिस्टर हो। उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश होने पर प्रा0प0 पेश हो। जिला कलक्टर, झुंझुनू जिला कलेक्टर झुन्झुनू	
27-10-22	अपील पेश होने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। अपील दर्ज करने से पूर्व केवियटकर्ता को सुना जाना आवश्यक है। अतः केवियटकर्ता को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11-1-23 को पेश हो। जिला कलेक्टर झुन्झुनू	6930 27-12-22
11-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकील केवियटकर्ता उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री राजकुमार शर्मा उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने स्थगन आदेश नही चाहा है। अतः श्री सन्तकुमार द्वारा पेश की गई अपील दर्ज रजिस्टर कर तदनुसार कार्यवाही की जावे। केवियट प्रा०प० मे अब कोई कार्यवाही शेष नहीं [illegible] प्र०प० मे कार्यवाही बन्द की जाती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर अपील के साथ [illegible] हो। (एल० एस० कुरी) जिला कलक्टर झुन्झुनू	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.20 16:50:57 IST
Reason: SelfAttested